झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/JJM– 01–78/2021– 105(वि) राँची, दिनाँक :– 16/11/22

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
झारखण्ड, डोरण्डा, राँची।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2022–23 में "जल जीवन मिशन (JJM)" के अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा अन्तर्गत कान्हाचट्टी (सम्पूर्ण प्रखण्ड) एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश मद से राशि रूपये 2366.55 लाख तथा राज्यांश मद से राशि रूपये 2366.55 लाख यथा कुल समेकित राशि रूपये 4733.10 लाख (सैंतालीस करोड़ तैंतीस लाख दस हजार रूपये) मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः– स्वीकृत।

1.(i) जलशक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार के द्वारा दिसम्बर, 2019 में केन्द्र प्रायोजित NRDWP के स्थान पर जल जीवन मिशन (JJM) योजना प्रारम्भ की गई। जल जीवन मिशन की प्रख्यापित मार्गदर्शिका के अनुसार वर्ष– 2024 तक हर घर को नल के माध्यम से Functional Household Tap Connection (FHTC) से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। इसी क्रम में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों की सम्पूर्ण आबादी को पाईप जलापूर्ति के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वृहत स्तर पर लघु एवं बड़ी जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण की स्वीकृति दी जा रही है।

(ii) पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा अन्तर्गत कान्हाचट्टी (सम्पूर्ण प्रखण्ड) एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राक्कलित राशि रूपये 5053.75 लाख (पचास करोड़ तिरेपन लाख पचहत्तर हजार रूपये) मात्र पर मुख्य अभियंता (सी०डी०ओ०), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(iii) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक– 20.09.2022 को सम्पन्न SLSSC की बैठक में वर्णित योजना हेतु राशि रूपये 4733.12 लाख (सैंतालीस करोड़ तैंतीस लाख बारह हजार रूपये) अनुमोदित किया गया है। बैठक की कार्यवाही विभागीय पत्रांक– 2100/SWSM, दिनांक– 01.11.2022 द्वारा निर्गत है।

(iv) उक्त के आलोक में JJM के प्रख्यापित मार्गदर्शिका के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50:50 निर्धारित है, जिसके अनुरूप पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा अन्तर्गत कान्हाचट्टी (सम्पूर्ण प्रखण्ड) एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु **(अनुरक्षण एवं मरम्मति की अवधि के विद्युत व्यय के राशि रूपये 320.63212 लाख को छोड़कर)** केन्द्रांश मद से राशि रूपये 2366.55 लाख तथा राज्यांश मद से राशि रूपये 2366.55 लाख यथा कुल समेकित राशि **रूपये 4733.10 लाख (सैंतालीस करोड़ तैंतीस लाख दस हजार रूपये)** मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। मरम्मति एवं सम्पोषण की अवधि के दौरान विद्युत व्यय के भुगतान हेतु सरकार द्वारा अलग से राशि स्वीकृत की जायेगी। योजना अन्तर्गत कुल FHTC- 7921 अद्द के माध्यम से कुल जनसंख्या 50376 लाभान्वित होंगे, जिसके लिए Per Capita Cost रूपये 0.7608 लाख एवं Per FHTC Cost रूपये 0.57510 लाख है।

2.(i) योजना का क्रियान्वयन जल जीवन मिशन (JJM) के प्रख्यापित मार्गदर्शिका में निहित्त प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

(ii) Source Sustainability के आधार पर Intake Well का निर्धारण के पश्चात् प्रगति देखकर ही WTP/ ESR का कार्य प्राथमिकता से किया जायेगा।

(iii) इस योजना का जल श्रोत Tilaiya Dam है, जिसपर Source Sustainability Certificate दिनांक– 24.12.2021 द्वारा अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, हजारीबाग एवं कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा द्वारा दिया गया है।

(iv) दिनांक– 20.09.2022 को SLSSC द्वारा योजना की सहमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि योजनाओं के Source Sustainability के संबंध में कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसे Re-visit कर इसके Source के प्रति विभाग आश्वस्त हो लेंगे। इस संबंध में विभागीय पत्रांक– 1979/SWSM, दिनांक– 27.09.2022 के द्वारा निदेश पत्र निर्गत है।

(v) दिनांक– 20.09.2022 को SLSSC द्वारा योजनाओं के स्वीकृति की सशर्त सहमति के आलोक में योजनाओं के जलापूर्ति से संबंधित नदियों के Water Potential के Commulative effect का आकलन, Water Source की Mapping कर Water Availability की गणना करना, River Source में सभी बहु–ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के Water Demand की Hydrological Mapping of Water Flow Data के साथ गणना करने हेतु कार्यालय आदेश संख्या– 26/SWSM, दिनांक– 27.09.2022 के द्वारा निदेश पत्र निर्गत है।

(vi) पाईप लाईन को कंडिका– II के निर्धारण के बाद किया जायेगा।

(vii) पूरे योजना का स्थल आधारित Design/Drawing सक्षम स्तर से अनुमोदन कराकर स्वीकृत राशि के अन्दर ही कार्य किया जायेगा। निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन किया जायेगा।

(viii) वितरण Network को Loop System में Design किया जायेगा। ESR की Staging का रूपांकन राज्य की Topography के अनुरूप Water Distribution Network में CPHEEO Manual के अनुरूप Terminal Pressure एवं Water Distribution Network प्रभावी होगा।

(ix) योजना के अवयवों का रंग एवं अन्य निर्देश विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र के अनुरूप रहेगा।

(x) पाईप क्रय हेतु राशि देय नहीं होगा। पाईप लाईन कंडिका– (ii) के क्रम में Lay करने के अनुरूप ही भुगतान किया जायेगा।

3.(i) प्रस्तावित योजना के विभिन्न अवयवों के निर्माण हेतु अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी (चतरा) का पत्रांक– 587, दिनांक– 28.12.2021 द्वारा भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया गया है।

(ii) उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति से भूखण्ड प्राप्त कर विधिवत हस्तान्तरण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के नाम प्राप्त कर, अभिलेख में इसका संधारण पूर्व में निर्गत निर्देश के अनुरूप पंजी/Online रखा जायेगा।

(iii) भूखण्ड विधिवत हस्तान्तरण के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

(iv) वैधानिक रूप से जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित होने तक योजना के विरूद्ध किसी प्रकार का Liability Create नहीं किया जाएगा।

4.(i) संबंधित कार्यपालक अभियंता प्रखण्ड की सभी योजनाओं को Map कर Coverage देखेंगे।

(ii) योजना का शिलान्यास/उद्घाटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अद्यतन निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(iii) योजना स्थल पर Details Boards लगाया जायेगा। योजना Map, WTP पर Display किया जायेगा।

(iv) सभी जन प्रतिनिधि (यथा MP/MLA/CP/प्रखण्ड/पंचायत) तथा प्रशासनिक पदाधिकारी (DC/DDC/ BDO/CO) को भी योजना की सूचना कार्यपालक अभियंता देंगे।

(v) योजना कमांड क्षेत्र के सभी स्कूल/आंगनवाड़ी/सरकारी/निजी संस्था (सामुदायिक भवन/ पंचायत भवन/अस्पताल) इत्यादि को पाईप वाटर आच्छादन अवश्य किया जायेगा।

5.(i) योजना क्रियान्वयन के क्रम में अर्न्तविभागीय समन्वय तथा NOC/सहमति प्रारंभ में ही प्राप्त की जायेगा।

(ii) गृह जल–संयोजन पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। विभागीय पत्रांक– 2365, दिनांक– 20.10.2020 के अनुसार गृह जल–संयोजन कम से कम 80% पूर्ण होने पर योजना की मरम्मति एवं सम्पोषण प्रारंभ किया जा सकेगा।

6.(i) संबंधित अधीक्षण अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि कराये गए कार्यों का भौतिक सत्यापन कर संतुष्ट होने के उपरान्त कार्यपालक अभियंता से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र मुख्य अभियंता (पी०एम०यू०) को समर्पित करेंगे।

(ii) संबंधित कार्यपालक अभियंता इस आशय का प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से देंगे कि किसी अन्य योजना की निधि से इस कार्य का न तो दोहरीकरण हुआ है, और न होगा।

(iii) योजना का लेखा संधारण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र का प्रस्तुतीकरण संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जायेगा तथा संबंधित अधीक्षण अभियंता स्वयं इसकी जाँच कर पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

7. JJM अन्तर्गत केन्द्रांश की स्वीकृत राशि का व्यय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि एवं समतुल्य राज्यांश की राशि बैंक ऑफ इंडिया, झारखण्ड उच्च न्यायालय शाखा के खाता संख्या– 495810110001444 में प्राप्त/जमा राशि से किया जायेगा।

8. योजनान्तर्गत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा होंगे, जो स्वीकृत राशि के विरुद्ध केन्द्रांश/राज्यांश की राशि की निकासी PMU के बैंक खाते में जमा राशि के अधीन मुख्य अभियंता–सह–कार्यकारी निदेशक, पी०एम०यू० द्वारा प्राधिकार पत्र निर्गत होने के उपरान्त तदनुरुप PFMS के माध्यम से करेंगे।

9. योजना का क्रियान्वयन खुली निविदा e-tender के माध्यम से "टर्न की" के आधार पर सम्पन्न किया जायेगा। योजना में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की आपूर्ति, अधिष्ठापन एवं क्रियान्वयन तथा 05 वर्षों के मरम्मति एवं सम्पोषण से संबंधित सभी कार्य का सम्पादन करना संबंधित एजेन्सी का ही दायित्व होगा।

10. बहु–पंचायत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए विभागीय पत्रांक– 08/ NRDWP- 43/2013-4003, दिनांक– 20.09.2013 एवं पत्रांक– 1579, दिनांक– 06.07.2021 द्वारा निर्गत निदेशों का शत्–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11.(i) योजना के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता–सह–कार्यकारी निदेशक, पी०एम०यू० होंगे।

(ii) JJM & PWD Code के प्रावधानों के साथ–साथ योजना Human life से जुडी है, इसके अधिष्ठापन तथा गुणवत्ता को 100% ensure करने के लिये अंतिम भुगतान के पूर्व सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता संयुक्त रूप से जाँच कर संतुष्ट होने के उपरान्त अंतिम भुगतान करेंगे।

(iii) योजना के समयबद्धता (Time of Completion) हेतु निर्गत विभागीय आदेश संख्या– 197, दिनांक– 05.09.2013 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायेगा।

(iv) Third Party Inspection हेतु विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या– 336(CDO), दिनांक– 27.02.2021 एवं पत्र संख्या– 898(CDO), दिनांक– 04.08.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) Regular O&M के सन्दर्भ में Concurrent 3rd party evaluation मुख्य अभियंता–सह–कार्यकारी निदेशक, पी०एम०यू० द्वारा किया जायेगा।

(vi) योजना के तहत किये गये कार्यों का भारत सरकार के Website - www.indiawater.gov.in पर Mobile App के द्वारा फोटो अपलोडिंग करवाना सुनिश्चित करेंगे। सभी मदों से प्राप्त राशि का ब्यौरा मदवार एवं वित्तीय वर्षवार www.indiawater.gov.in पर Update किया जायेगा।

(vii) जल जीवन मिशन (JJM) मार्गदर्शिका एवं PWD Code का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत राशि के अधीन ही योजना के तहत कार्य करायेंगे। किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक का कार्य नहीं कराया जायेगा। स्वीकृत राशि से अधिक कार्य से उद्‌भूत किसी भी वित्तीय दायित्व के भुगतान की जबावदेही कार्यपालक अभियंता की होगी।

13. कार्यपालक अभियंता योजना की मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति JJM मार्गदर्शिका के अनुसार भारत सरकार का Website- www.indiawater.gov.in पर Entry करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि IMIS पर अंकित सूचना प्रमाणित (authentic) हो। साथ ही कार्यपालक अभियंता मासिक रूप से वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन PMU एवं विभाग को समर्पित करेंगे।

14. झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 174 का शक्ति से पालन किया जायेगा।

15. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

16. योजना की स्वीकृति प्रस्ताव पर दिनांक– 20.09.2022 को सम्पन्न SLSSC की बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया है। बैठक की कार्यवाही पर मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

17. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक–वित्तीय–सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक– 301, दिनांक– 11.03.2015 के क्रम में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा रही है।

19. **यह आवंटनादेश नहीं है। इसके लिए अलग से प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।**

(मनीष रंजन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 7/JJM– 01–78/2021– 105(W) राँची, दिनांक :– 16/11/22

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संबंधित माननीय सांसद और माननीय विधायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

3- प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग/उपायुक्त, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

4- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/विभागीय आंतरिक–वित्तीय–सलाहकार/मुख्य अभियंता (पी०एम०यू०)/संयुक्त सचिव (प्र०को०)/अवर सचिव, प्रशाखा– 07/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5- क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, राँची प्रक्षेत्र, राँची/अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6- शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ इंडिया, झारखण्ड उच्च न्यायालय शाखा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7- राज्य समन्वयक (IT M&E) SPMU को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(मनीष रंजन)
सरकार के सचिव।